रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 1978/चैत्र 30, 1900

No. 209] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 1978/CHAITRA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1978

का० आ० 277(अ)/18 खख/उ० वि० विअ० /78—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 265(अ)/18कक/उ० वि० वि०अ०/ 78, तारीख 13 अप्रैल, 1978 द्वारा मेंसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड कानपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) के समस्त उपक्रमो अर्थात् (1) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (2) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पाण्डिचेरी, (3) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, (4) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन (5) मैसर्स उदयपुर काटन मिल्स लिमिटेड, उदयपुर, और (6) मेसर्स रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, रायबरेली का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन 12 अप्रैल, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ले लिया गया है।

और उक्त औद्योगिक उपक्रमो के संबंध मे केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग अर्थात् वस्त्र उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी न आने पाए इसे ध्यान में रखते हुए सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18खख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख से तुरन्त पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाएं, संपत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतो, पंचाटो, स्थायी आदेशो या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षित दायित्व से संबंधित है) से उपगत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताएं और दायित्व जिनके ऐसे औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रमो को लागू हो सकते है, एक वर्ष की अवधि तक निलम्बित रहेंगे और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन उपगत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे।

[फा० सं० 10/14/78-सी एस एम]

आर० रामकृष्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th April, 1978

S.O. 277(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No: S.O. 265(E)/18AA/IDRA/78, dated the 13th April, 1978, the management of whole of the industrial undertakings known as (i) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) M/s. Udaipur Cotton Mills Ltd., Udaipur and (vi)

M/s. Rae Bareli Textile Mills Ltd., Rae Bareli, of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Ltd., Kanpur (hereinafter referred to as the said industrial undertakings), had been taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 12th April, 1983;

And whereas, the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertakings, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in the scheduled industry, namely, textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18 FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings are parties, or which may be applicable to such industrial undertakings shall remain suspended for a period of one year and all the obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[F. No. 10/14/78-CSM]

R. RAMAKRISHNA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978